:: आदेश ::

प्रायः देखा जा रहा है कि बैंक की शाखाओं पर कार्यरत शाखा प्रबन्धक व अन्य अधीनस्थ कर्मी सक्षम अधिकारी से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवकाश पर चले जाते है, जो अनुशासनहीनता को दर्शाता है। बिना पूर्व अनुमति के शाखा से अनुपस्थित हो जाने के कारण शाखा के कार्यो पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है साथ ही बैंक के व्यवसाय में भी लगातार गिरावट आ रही है एवं बैंक की छवि भी धूमिल हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने पद के कर्तव्यों एंव दायित्वों के प्रति सजग नही है।

चूँकि नाबार्ड एवं अन्य संस्थाओं की देयता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक शाखा अपनी मांग/बकाये की अधिकाधिक वसूली सुनिशिचित करते हुये धनराशि का प्रेषण मुख्यालय करें।

अतः बैंक के व्यवसाय में भी लगातार गिरावट को दृष्टिगत रखते हुये समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.03.2018 तक बिना प्रबन्ध निदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त किये किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी से अवकाश हेतु प्राप्त की गई पूर्व अनुमति का उल्लेख अपने प्रार्थना में करेंगे। साथ ही शाखा के अन्य कार्मिकों को भी निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा सम्बन्धित मण्डल पर्यवेक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही समस्त अवकाश का उपभोग किया जाये।

उक्त का अनुपालन अक्षरशः किया जाये, अन्यथा दोषी पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आदेशांकः 1664 /स्थापना/2017–18 दिनांक : 31-10-17

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0।
2–समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3–समस्त पटल सहायक(स्थापना अनुभाग), प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4–उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल), प्रधान कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

31.X.17
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)